DAINIK JAGRAN, Bhubaneswar, 8.7.2024
Page No. 5, Size:(2.42)cms X (11.31)cms.

चाणक्य अस्पताल सील, चार अस्पतालों को नोटिस जारी

संवाद सहयोगी, जागरण ● कटक : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद शनिवार को कटक जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से रानीहाट कैनल रोड में मौजूद चाणक्य अस्पताल को सील कर दी गई है । अतिरिक्त जिलाधीश डाक्टर दिव्यालोचन मोहंतो के अगुवाई में गठित एक विशेष टीम चाणक्य अस्पताल में पहुंचकर अस्पताल में मौजूद कागजातों की जांच पड़ताल करने के पश्चात उसे सील कर दिया है । दूसरी ओर जिला के अन्य 4 अस्पताल को कारण बताओं नोटिस जारी की गई है । जल्द ही उन अस्पतालों के ऊपर कारवाई की जाएगी, यह बात कटक जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीडीएमओ डाक्टर मकरंद बेउरा ने गण माध्यम को जानकारी दी है। बिना पंजीकरण तथा बिना आगजनी की सुरक्षा के चलाए जाने वाली उस निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्देश दिया था । गैर कानूनी तौर पर रानीहाट कैनल रोड में चलने वाली इस अस्पताल को बंद करने के लिए निर्देश रहने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग केवल खत लिखकर बैठ जाने की घटना को लेकर आयोग ने काफी असंतोष जाहिर किया था। वर्ष 2015 से इस अस्पताल का पंजीकरण हो गया था। इसके बावजूद अस्पताल चलाया जा रहा था।

3 साल में 3 बच्चों की मौत छुपा गया इंदौर का आश्रम, जांच के लिए पहुंची NCPCR की टीम ने किया खुलासा

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/indore/indore-ashram-hid-death-of-3-children-in-3-years-ncpcr-team-reached-for-investigation/articleshow/111549110.cms

इंदौर: शहर के आश्रम में संदिग्ध हैजा से छह बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के लगभग एक हफ्ते बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शनिवार को संस्थान का दौरा किया और कहा कि आश्रम प्रबंधन पिछले तीन वर्षों में तीन बच्चों की मौत की रिपोर्ट करने में विफल रहा है। इन 3 बच्चों में 11 वर्षीय अंकित गर्ग शामिल नहीं है, जिसकी मृत्यु 29 जून को हुई थी।

हमारे सहयोगी अखबार टाईम्स ऑफ इंडिया ने बताया था कि श्री युगपुरुष धाम बौधिक विकास केंद्र अधिकारियों को अंकित की मौत की रिपोर्ट करने में विफल रहा था। आश्रम ने 30 जून को शव को उसके माता-पिता को सौंप दिया, जिससे शव परीक्षण के बिना दफनाने की अनुमति मिल गई।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से जवाब मांगा। इसके एक दिन बाद आयोग की सदस्य और भाजपा पदाधिकारी डॉ. दिव्या गुप्ता के नेतृत्व में एनसीपीसीआर की तीन सदस्यीय टीम ने शनिवार को आश्रम का दौरा किया।

गुप्ता ने संवाददाताओं को बताया कि हम सभी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'हमने पिछले तीन वर्षों के आश्रम के रिकॉर्ड एकत्र किए। 2022, 2023 और 2024 में तीन मौतें हुईं। आश्रम ने मौतों की रिपोर्ट न करने के लिए अलग-अलग कारण बताए, उनमें से एक कर्मचारियों की कमी थी। एक मामले में धार कलेक्टर के कहने पर एक बच्चे को भर्ती कराया गया। आश्रम ने कलेक्टर को तो मौत की सूचना दे दी, लेकिन बाल कल्याण समिति को नहीं बताया।'

एनसीपीसीआर ने जांच के लिए उपचार कार्यक्रम, प्रवेश रिकॉर्ड और कंप्यूटर हार्ड डिस्क एकत्र किए हैं। डॉ गुप्ता ने कहा, 'छह बच्चों की मृत्यु हो गई (हाल ही में) और 90 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पांच अभी भी आईसीयू में हैं। कई बच्चों को छुट्टी दे दी गई है।'

आश्रम में 204 कैदी हैं, जिनमें अनाथ और मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोग भी शामिल हैं। उनमें से 44% से अधिक लोग उस बीमारी से पीड़ित थे जिसने छह लोगों की जान ले ली। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षण से हैजा का संकेत मिलता है।

एनसीपीसीआर टीम ने पाया कि आश्रम में रहने की स्थिति में सुधार हुआ है और यह अस्पताल से लौटने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त था, गुप्ता ने कहा, 'मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की देखभाल करना बहुत मुश्किल है। हमने उन्हें कहीं और ले जाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।'
डॉ. गुप्ता ने कहा कि एनसीपीसीआर आश्रम से एकत्र किए गए दस्तावेजों का अध्ययन करेगा और बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए कलेक्टर को एक सिफारिश सौंपेगा।

Campaign to promote girls' education across country

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/campaign-to-promote-girls-education-across-country/articleshow/111561800.cms

New Delhi: Addressing the pressing need to ensure every girl completes her schooling till Class XII, several NGOs that work for child rights have jointly launched a seven-week campaign titled 'Poori Padhai Desh Ki Bhalai'. With millions of girls across India still out of school, and many unable to access secondary and higher secondary education, this nationwide initiative seeks to raise public awareness toward girls' education. In Delhi, the campaign began in all the districts recently. Mass awareness rallies, signature campaigns and various outreach programmes will be held as part of the campaign. Puja Marwaha, CEO of CRY, said, "Ensuring higher secondary education for girls is a must for their empowerment and the nation's development. Targeted interventions with specific goals and action points are needed to support girls beyond elementary education. This includes adequate public provisioning for girls' education, financial incentives, improved infrastructure, community engagement, and robust enforcement of laws against child marriage. But none of these are possible without generating a mass awareness and a social resonance around girls' education." Soha Moitra, regional director at CRY, emphasised the urgent need for this initiative, stating, "The latest UDISE+ 2021-22 data reveals that only three out of every five girls in India reach the higher secondary level. This means that just 58.2% of girls are currently enrolled in higher secondary education". tnn

We also published the following articles recently

Football school for underprivileged girls launchedCalcutta Sports Journalists Club inaugurates football school in Kolkata for underprivileged girls under 13. Free training by Shanti Mullick to discover talent. Former players and officials endorse the program.111465919

NHRC seeks report over death of girl childNHRC requests action report from Odisha govt on death of 5-year-old girl who fell into hot dal cauldron at school. Activist files petition for investigation and legal action. Commission directs authorities to submit report within 4 weeks.111463799

Unable to afford education, mason & minor daughter consume poisonTragic news from Meerut as a father and daughter passed away after consuming poison. The father's financial struggles prevented him from supporting his daughter's desire for further studies despite her academic success. The incident took place in Daurala region and has left the community in shock.111528214

‘Canals in Fort Kochi cleared of obstructions’

https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/canals-in-fort-kochi-cleared-of-obstructions/articleshow/111563487.cms

Kochi: The Fort Kochi Zonal Office of Kochi Corporation has announced the successful clearance of obstructions in several canals under its jurisdiction. According to the assistant executive engineer's response to RTI activist Govindan Namboothiri, canals including Chakkamadam, Panayapilly, Cherlai, Eraveli, Townhall Road, and Kappalandimukku have been thoroughly cleaned.

Govindan Namboothiri, who lodged complaints with the CM's office and the National Human Rights Commission regarding persistent waterlogging in Mattancherry and Fort Kochi, expressed dissatisfaction with previous cleaning efforts. He criticized the sporadic nature of cleaning operations and emphasized the need for the corporation to adopt a scientific approach to drainage system maintenance with regularity.

We also published the following articles recently

75 years of Kochi-Travancore merger: A far-sighted king who gave up his kingdom for an almanacDiscover the historical significance of the State of Travancore-Cochin pact in 1949, leading to the formation of Kerala. Learn about the Kochi ruler's decision to exchange his kingdom for a panchangam and the key figures involved in the talks.111419026

FIRs for obstructing public 1st in Goa under new criminal lawGoa police files two FIRs under new criminal laws for obstructing public. Cases involve coconut vendor and plastic seller. Laws replace old colonial laws. Accused caused traffic and pedestrian obstruction.111413099

Stray Kids drop group and unit teasers emphasizing natural appeal!Discover the latest updates on Stray Kids as they prepare for their comeback with the mini-album 'ATE' and the title track 'Chk Chk Boom.' Get a glimpse of the group's captivating teasers and learn more about their upcoming music release, promising a unique and vibrant musical experience for fans worldwide.111473955

Indore news : इंदौर के आश्रम में बच्चों की मौत के मामले में एनएचआरसी ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

https://paliwalwani.com/indore/indore-news-nhrc-seeks-report-from-chief-secretary-in-the-case-of-death-of-children-in-indores-ashra

मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के युगपुरुष आश्रम में बच्चों की मौत के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. दिव्या गुप्ता यहां जांच करने पहुंची। उनके अनुसार इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संज्ञान लिया था। इसकी रिपोर्ट पीएमओ भी जाएंगी।

इंदौर के युगपुरुष आश्रम में हुई थी 6 बच्चों की मौत।

आश्रम के बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है।

इंदौर. इंदौर शहर के मल्हारगंज स्थित युगपुरुष धाम आश्रम में बच्चों के बीमार और मौत होने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अभी सफाई की गई है, रंगाई-पुताई का काम जारी।

इसमें अस्पताल में भर्ती बच्चों की मौजूदा स्थिति की जानकारी देने को भी कहा है। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय में भी मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी संज्ञान लिया है। यह बात राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. दिव्या गुप्ता ने कही। उन्होंने बताया कि इंदौर आश्रम में हुई घटना में संज्ञान लेने हम दिल्ली से आए थे। जिन अनियमितताओं की चर्चा थी, निरीक्षण के दौरान वे यहां नहीं मिलीं।

आश्रम से मिले दस्तावेज दिल्ली जाएंगे

आश्रम में अब सफाई हो गई है। रंगाई-पुताई का कार्य चल रहा है। रसोईघर, छत और पानी की टंकी में भी सफाई हो गई है। हमें आश्रम से कई दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें हम दिल्ली लेकर जा रहे हैं। 27 जून को जिस डॉक्टर ने बच्चों का इलाज किया था, मिर्गी की कौन-सी दवाई दी थी, उसकी जानकारी भी ली है।

आश्रम को कितना पैसा मिलता है

आश्रम के लिए कितना पैसा आता है, यह भी पता किया है। हम हार्ड डिस्क भी लेकर जा रहे हैं। हम वहां इसका विश्लेषण करेंगे और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे केंद्र और राज्य सरकार को देंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पीएमओ को भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यह मामला इसलिए राष्ट्रीय संज्ञान में आया क्योंकि यहां बच्चों की मौत हुई है।

अधिकारियों ने नहीं निभाई अपनी जिम्मेदारी

अधिकारियों को नियमित रूप से संज्ञान लेना था। आश्रम का निरीक्षण करना था, उनकी यह जिम्मेदारी थी, लेकिन उस पर वे खरे नहीं उतर पाए हैं। हालांकि कलेक्टर ने आश्रम संचालकों को कारण बताओ नोटिस दिए हैं। अब हम योजना बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बाल कल्याण संस्थान चल रहे हैं, उनका लगातार निरीक्षण करेंगे।

J.S. Verma, former chief justice of India, dies

https://www.livemint.com/Politics/b1k9X28h0iYMYnPKhfqwzJ/Former-Chief-Justice-of-India-JS-Verma-dies.html

Verma, who headed the panel to frame a tough law to tackle crime against women, died of multiple organ failure

New Delhi: Former chief justice of India Jagdish Sharan Verma, who headed the government-appointed committee to frame a tough law to tackle crime against women in the wake of the December Delhi gang-rape incident, died on Monday. He was 80.

add_main_imageDr Yatin Mehta, head of the Institute of Critical Care and Anesthesiology, at Medanta Medicity Hospital in Gurgaon where Verma was admitted, told PTI that the former CJI breathed his last at 9:30pm on Monday.

"He was brought in with liver failure and bleeding from stomach on Friday," Mehta said.NextMAds

Justice Verma was the 27th Chief Justice of India and served from 25 March 1997 until his retirement on 18 January 1998.

He had headed the committee formed by the government to give recommendations for a stringent anti-rape law after the brutal Delhi gang-rape of a 23-year-old paramedic student on 16 December 2012. Most of the recommendations of this committee, which also had Gopal Subramanian and Leela Seth as its members, were accepted by the government.

The government passed an ordinance based on these suggestions and an anti-rape law was passed by Parliament in the first half of the budget session this year.

Born on 18 January 1933, J.S. Verma had his early education in Satna, Madhya Pradesh.

He began his legal career in 1955 and became a judge of Madhya Pradesh high court in June 1973. He became Chief Justice of Madhya Pradesh high court in June,1986 and also served as Chief Justice of Rajasthan high court from September 1986 to mid-1989.

In June 1989, he was appointed as a judge of the Supreme Court and became Chief Justice of India in January 1998.sixthMAds

Justice Verma was also a former chairman of **National Human Rights Commission.**

He was also the first chairperson of News Broadcasting Standards Authority (NBSA).

NHRC के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई! कटक में अस्पताल किया सील, 4 हॉस्पिटलों को नोटिस जारी

https://www.jagran.com/lite/odisha/bhubaneshwar-health-department-sealed-chanakya-hospital-after-instruction-of-nhrc-and-sent-notices-to-4-hospitals-in-cuttack-23754000.html

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद कटक जिला स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया। कटक में रानीहाट कैनल रोड पर स्थित चाणक्य अस्पताल को सील किया गया और जिले के चार अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन हॉस्पिटलों के खिलाफ भी जल्द ही कारवाई की तैयारी है। इसकी जानकारी कटक जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी है।

संवाद सहयोगी, कटक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद शनिवार को कटक जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से रानीहाट कैनल रोड में मौजूद चाणक्य अस्पताल को सील दिया गया।

अतिरिक्त जिलाधीश डॉक्टर दिव्यालोचन मोहंतो के अगुवाई में गठित एक विशेष टीम चाणक्य अस्पताल में पहुंचकर अस्पताल में मौजूद कागजातों की जांच पड़ताल करने के पश्चात उसे सील कर दिया है।

जिले के चार अस्पतालों को भेजा गया नोटिस

दूसरी ओर जिले के अन्य 4 अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। जल्द ही उन अस्पतालों के ऊपर कारवाई की जाएगी, यह बात कटक जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीडीएमओ डॉक्टर मकरंद बेउरा ने गण माध्यम को जानकारी दी है।

बिना पंजीकरण तथा बिना आगजनी की सुरक्षा के चलाए जाने वाली उस निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्देश दिया था।

साल 2015 में ही खत्म हो गई थी अस्पताल की अवधी

गैर कानूनी तौर पर रानीहाट कैनल रोड में चलने वाली इस अस्पताल को बंद करने के लिए निर्देश रहने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग केवल खत लिखकर बैठ जाने की घटना को लेकर आयोग ने काफी असंतोष जाहिर किया था।

वर्ष 2015 से इस अस्पताल का पंजीकरण अवधि खत्म हो गई थी। लेकिन वह बगैर पंजीकरण प्रमाण पत्र के इस अस्पताल को चल रहा था।

इन्होंने किया अस्पताल को सील

अतिरिक्त जिलाधीश के साथ-साथ सीडीएमओ, एडीएमओ डॉक्टर चिंतामणि मिश्र, एसीपी जोन 2 के साथ अन्य सदस्य इस छापेमारी में शामिल होकर अस्पताल को सील किया है।

जिले में इस तरह के पंजीकृत ना होने वाले तथा नियम को उल्लंघन कर चलने वाली अस्पताल जो कि इंसानों के जिंदगी से साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों के मौलिक अधिकार के प्रति खतरा पैदा कर रहे हैं, उन्हें बंद करने के लिए आयोग ने निर्देश दिया था। आयोग इस संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान इसे गंभीरता के साथ लिया था।

Indore ashram where 6 kids died didn't report 3 earlier deaths: NCPCR

https://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/indore-ashram-where-6-kids-died-didnt-report-3-earlier-deaths-ncpcr/articleshow/111548442.cms

INDORE: Nearly a week after six children died of suspected cholera at an Indore ashram, National Commission of Protection of Child Rights (NCPCR) visited the institution on Saturday and said the ashram management had failed to report deaths of three children in the last three years.This number doesn't include 11-year-old Ankit Garg, who died on June 29 - the first of the six deaths reported till July 2. TOI had reported that Shri Yugpurush Dham Boudhik Vikas Kendra had failed to report Ankit's death to the authorities, and handed over the body to his parents on June 30, thereby allowing a burial without autopsy.

A three-member NCPCR team, led by commission member and BJP functionary Dr Divya Gupta, visited the ashram on Saturday - a day after National Human Rights Commission (NHRC) took suo motu cognizance of the tragedy and sought a reply from Madhya Pradesh chief secretary.
"We collected records of the ashram of the last three years. Three deaths occurred in 2022, 2023 and 2024. The ashram gave different reasons for not reporting the deaths, one of them being lack of staff. In one case, a child was admitted at the instance of the Dhar collector. The ashram informed the collector about the death but did not tell the Child Welfare Committee. We are examining all the documents," Gupta told reporters.

NCPCR has collected treatment schedules, admission records and computer hard disks for investigation.

"Six children died (recently) and 90 were admitted to hospital. Five are still in ICU. Several children have been discharged," Dr Gupta said.

The ashram has 204 inmates, including orphans and those suffering with mental ailments. Over 44% of them were afflicted by the disease that claimed six lives. Tests indicate cholera, say officials.

The NCPCR team found that living conditions in the ashram have improved and it was adequate for children returning from hospital, Gupta said, adding, "It is very difficult to look after mentally disabled children. We tried to move them elsewhere, but as of now there are no adequate facilities available."

Dr Gupta said the NCPCR will study documents collected from the ashram and submit a recommendation to the collector to improve the condition of children.

Odisha's Chanakya Hospital sealed over lack of registration, following NHRC order

https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2024/Jul/07/odishas-chanakya-hospital-sealed-over-lack-of-registration-following-nhrc-order

Dissatisfied, the NHRC three months back ordered that the health facility be closed.

CUTTACK: The district administration on Saturday sealed Chanakya Hospital, a private healthcare facility at Ranihat, as it was allegedly not registered under the Odisha Clinical Establishment Act. The move came in response to the direction of the National Human Rights Commission.

As per sources, the matter came to light after the family members of one Kishore Dash of Mangalpur in Jajpur district, who had died during treatment in 2021, filed a petition with the NHRC alleging negligence by hospital authorities. While hearing the case, the Commission found that the hospital was not registered under the said Act. The owner of the hospital had pleaded that he had applied for approval of the building plan under Sarbakhyama Yojana but could not register as the process was delayed.

Dissatisfied, the NHRC three months back ordered that the health facility be closed. Later, the hospital owner approached the Orissa HC in this connection. CDMO Makaranda Beuria said the high court had given the hospital owner one month time to register the facility under the Act. "Since he failed to register the hospital within the said timeline, the hospital was sealed," he said.

Odisha's Chanakya Hospital sealed over lack of registration, following NHRC order

https://www.msn.com/en-in/news/India/odisha-s-chanakya-hospital-sealed-over-lack-of-registration-following-nhrc-order/ar-BB1pxLWa?item=flightsprg-tipsubsc-v1a?season//

CUTTACK: The district administration on Saturday sealed Chanakya Hospital, a private healthcare facility at Ranihat, as it was allegedly not registered under the Odisha Clinical Establishment Act. The move came in response to the direction of the National Human Rights Commission

As per sources, the matter came to light after the family members of one Kishore Dash of Mangalpur in Jajpur district, who had died during treatment in 2021, filed a petition with the NHRC alleging negligence by hospital authorities. While hearing the case, the Commission found that the hospital was not registered under the said Act. The owner of the hospital had pleaded that he had applied for approval of the building plan under Sarbakhyama Yojana but could not register as the process was delayed.

Dissatisfied, the NHRC three months back ordered that the health facility be closed. Later, the hospital owner approached the Orissa HC in this connection. CDMO Makaranda Beuria said the high court had given the hospital owner one month time to register the facility under the Act. “Since he failed to register the hospital within the said timeline, the hospital was sealed,” he said.

इंदौर के आश्रम में बच्चों की मौत के मामले में एनएचआरसी ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

https://ahilyawani.com/nhrc-sought-a-report-from-the-chief-secretary-in-the-case-of-death-of-children-in-indores-ashram/

इंदौर के आश्रम में बच्चों की मौत के मामले में एनएचआरसी ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के युगपुरुष आश्रम में बच्चों की मौत के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. दिव्या गुप्ता यहां जांच करने पहुंची। उनके अनुसार इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संज्ञान लिया था। इसकी रिपोर्ट पीएमओ भी जाएंगी।

इंदौर के युगपुरुष आश्रम में हुई थी 6 बच्चों की मौत।

आश्रम के बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है।

अभी सफाई की गई है, रंगाई-पुताई का काम जारी।

इंदौर। इंदौर शहर के मल्हारगंज स्थित युगपुरुष धाम आश्रम में बच्चों के बीमार और मौत होने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें अस्पताल में भर्ती बच्चों की मौजूदा स्थिति की जानकारी देने को भी कहा है। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय में भी मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी संज्ञान लिया है। यह बात राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. दिव्या गुप्ता ने कही। उन्होंने बताया कि इंदौर आश्रम में हुई घटना में संज्ञान लेने हम दिल्ली से आए थे। जिन अनियमितताओं की चर्चा थी, निरीक्षण के दौरान वे यहां नहीं मिलीं।

आश्रम से मिले दस्तावेज दिल्ली जाएंगे

आश्रम में अब सफाई हो गई है। रंगाई-पुताई का कार्य चल रहा है। रसोईघर, छत और पानी की टंकी में भी सफाई हो गई है। हमें आश्रम से कई दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें हम दिल्ली लेकर जा रहे हैं। 27 जून को जिस डॉक्टर ने बच्चों का इलाज किया था, मिर्गी की कौन-सी दवाई दी थी, उसकी जानकारी भी ली है।

आश्रम को कितना पैसा मिलता है

आश्रम के लिए कितना पैसा आता है, यह भी पता किया है। हम हार्ड डिस्क भी लेकर जा रहे हैं। हम वहां इसका विश्लेषण करेंगे और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे केंद्र और राज्य सरकार को देंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पीएमओ को भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यह मामला इसलिए राष्ट्रीय संज्ञान में आया क्योंकि यहां बच्चों की मौत हुई है।

अधिकारियों ने नहीं निभाई अपनी जिम्मेदारी

अधिकारियों को नियमित रूप से संज्ञान लेना था। आश्रम का निरीक्षण करना था, उनकी यह जिम्मेदारी थी, लेकिन उस पर वे खरे नहीं उतर पाए हैं। हालांकि कलेक्टर ने आश्रम संचालकों को कारण बताओ नोटिस दिए हैं। अब हम योजना बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बाल कल्याण संस्थान चल रहे हैं, उनका लगातार निरीक्षण करेंगे।–*डॉ. दिव्या गुप्ता, सदस्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग*